जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2024/mmp/10 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 29 फरवरी 2024

होटल पोलो लोंज की दादागिरी!!

होटल पर बना रहा अवैध मंजिलों पर अवैध मंजिलें!!

नगर निगम के आला अधिकारियों की शह पर चल रहा अवैध होटल का निर्माण!!

कॉंग्रेस राज मे मंत्री रहे राजनेता के बेटे की बन रही होटल!!

नगर निगम हेरिटेज के सिविल लाईन जोन मे स्थित भूखंड संख्या सी-24सी,भगवानदास रोड,सी-स्कीम,अशोक नगर पर बिना अनुमति,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए बन रहा अवैध होटल पोलो लोंज और रुफ टॉप “ स्काई लाइन ”

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

क्या है नगर निगम हेरिटेज के सिविल लाईन जोन मे स्थित भूखंड संख्या सी-24 सी,भगवानदास रोड,सी-स्कीम,अशोक नगर पर बिना अनुमति,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए बन रहे अवैध होटल पोलो लोंज और रुफ टॉप " स्काई लाइन " का मामला?

आपको बता दें कि सिविल लाईन जोन मे स्थित भूखंड संख्या सी-24 सी,भगवानदास रोड,सी-स्कीम,अशोक नगर पर करीब चार साल पहले कॉंग्रेस राज मे मंत्री रहे राजनेता के पुत्र द्वारा बिना अनुमति,बिना नक्शे स्वीकृत करवाए,बिना भू उपयोग परिवर्तन करवाए,पोलो लोंज के नाम से होटल का संचालन किया जा रहा था इतना ही नहीं, दो वर्ष पूर्व इस अवैध होटल की छत पर दो और अवैध तल बनाकर,स्काई लाईन नाम से रुफ टॉप रेस्टोरेंट का बेधड़क और बेरोक-टोंक संचालन किया जा रहा है|लेकिन लगता है शायद होटल मालिक का अवैध निर्माण से मन नहीं भरा तभी तो वर्तमान मे इस अवैध होटल के अवैध रुफ टॉप बार पर लोहे के गर्डरों का इस्तेमाल कर,दो और अवैध तलों का निर्माण किया जा रहा है|आपको बता दें कि इस अवैध होटल के अंतिम चार तलों मे गर्डरों के रूप मे भरपूर लोहे का इस्तेमाल किया गया है|कहीं ऐसा ना हो कि अवैध होटल की नींव कमजोर हो और इतने लोहे का भार सहन ही नहीं कर सके और कोई हादसा हो जाए|

लेकिन भविष्य जो भी हो,पिछली कॉंग्रेस सरकार मे बन रही इस अवैध बिल्डिंग का काम वर्तमान भाजपा सरकार मे भी चालू है और जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे है|

बिना सक्षम अनुमति बन रहा सी स्कीम का सबसे बड़ा क्लब बार

सूत्रों के अनुसार इस होटल पर बिना नक्शे पास करवाए,बिना पार्किंग व्यवस्था के इस तथाकथित सी स्कीम के सबसे बड़े क्लब बार का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है|अब इसे होटल मालिक की दादागिरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे|क्यूंकि एक तरफ को निगम के बड़े बड़े रसुखदारों के अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने की बात कह रही है दूसरी और जयपुर की सबसे व्यस्ततम रोड पर खुलेआम इस अवैध क्लब बार का निर्माण किया जा रहा है|

दो वर्ष पूर्व बन रहे रुफ टॉप की फोटो

क्या निगम करेगा होटल मालिक के इस अवैध बन रहे रुफ टॉप क्लब बार पर कार्यवाही?

आपको बता दें कि एमआई रोड पर हो रहे अवैध निर्माणों/अतिक्रमणों को हटाने की जिम्मेदारी निगम की है|यूं तो अभी तक नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराना अवैध निर्माणों के विरुद्ध ज़ीरो टोलरेंस की नीति पर कायम रहते हुए,बड़े बड़े रसुखदारों के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर चुके है|देखना यह है कि यह मामला निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान मे आने के बाद वह इसे सील करते है या फिर चिट्ठियाँ चलाकर इस रसुखदार होटल मालिक के सामने नतमस्तक हो जाते है|

रुफ टॉप के ऊपर चल रहे निर्माण कार्य की फोटो

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1	भूखंड का पता	सी-24 सी,भगवानदास रोड,सी-स्कीम,अशोक नगर
2	संभावित गतिविधि	बिना सक्षम अनुमति,बिना नक्शे पास करवाए,बिना पार्किंग व्यवस्था के, अवैध होटल और रुफ टॉप क्लब बार का निर्माण
3	संबन्धित ज़ोन	नगर निगम हेरिटेज,सिविल लाईन जोन
4	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	करतार सिंह
5	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	29/02/2024

जवाब मांगते सवाल?

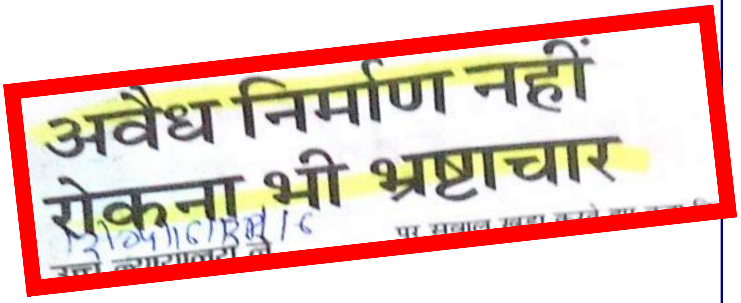

1. क्या होटल मालिक द्वारा भूखंड का व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या होटल मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण द्वारा व्यवसायिक निर्माण हेतु मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
3. क्या होटल मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार पार्किंग फेसेलिटी का पालन किया जा रहा है?
4. क्या होटल मालिक द्वारा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी किए गए **“ रुफ टॉप एनओसी हेतु जारी बायलाज-2020 ”** के नियमों की पालना करते हुए,इस रुफ टॉप क्लब बार का निर्माण करवाया जा रहा है?
5. क्या होटल मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी है?
6. क्या होटल मालिक द्वारा भूखंड यू.डी. टैक्स जमा करवा दिया गया है?
7. क्या होटल मालिक द्वारा नगर निगम से होटल व्यवसाय हेतु सिवरेज कनेक्शन लिया गया है और आज दिन तक कुछ बकाया नहीं है?
8. यदि होटल मालिक द्वारा इस अवैध क्लब बार के निर्माण मे किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन-कौन अधिकारी है?
9. यदि इस बिल्डिंग मे नियम विरुद्ध निर्माण करवाया जा रहा है तो क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार;मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?